मि.सं. 3-2/2018-स्था. भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

> कृषि विस्तार भवन पूसा, नई दिल्ली-110012 दिनांक: मार्च, 2024

विषयः विस्तार निदेशालय में 19900-63200 रुपये के स्तर-2 में स्टॉफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेंड) के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि विस्तार निर्देशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली में वेतन मैट्रिक्स 19900-63200 रुपये के स्तर-2 में स्टॉफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) समूह (ग) (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय) के एक (01) पद को प्रोन्नित/आमेलन एवं प्रतिनियुक्ति/पुनर्योजन आधार पर भरा जाना है -

प्रतिनियुक्ति / आमेलनः-

विस्तार निदेशालय में ऐसे नियमित बहुकार्य कर्मचारिवृंद जिनके पास मोटरकार चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञाप्ति धारकों की मोटरकार चालन की दक्षता आंकने के लिए चालन जांच के आधार पर अथवा केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर कार्यरत सवार हरकारा अथवा नियमित बहुकार्य कर्मचारीवृंद के कर्मियों में से जिनके पास निम्नलिखित विहित अर्हतायें हैं।

- ।. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10वीं कक्षा उतीर्ण या समतुल्य
- II. मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञिप्त
- III. मोटर कार चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव
- IV. मोटर यांत्रिकी का ज्ञान
- V. यान में लघु त्रुटियों को दूर करने में समर्थ

सशस्त्र बल के जवानों के लिए

प्रतिनियुक्ति/पुनर्योजनः-

सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हतायें हैं और यदि उसका चयन हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है: तत्पश्चात उन्हें पुनर्योजन पर बने रहने दिया जा सकत् है और पात्र अभ्यिथियों की दशा में जो उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए जाते है तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जायेगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्योजन)।

टिप्पणी:-1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी:-2 प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि से साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी:-3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

चयनित अधिकारी को, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसरण में अपने ग्रेड वेतन के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति भता लेने अथवा सामान्य नियमों के तहत् पद से संबद्ध वेतनमान में अपना वेतन नियत करवाने का विकल्प होगा ।

अनुरोध है कि रिक्ति का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारी का आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मा में उनकी सेवा के विस्तृत ब्यौरे तथा पिछले 5 वर्षों की विधिवत सत्यापित गोपनीय रिपोटों की फोटो प्रति सहित रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर कृपया अधोहस्ताक्षरी के पास भेजें।

आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह भी सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विवरण सत्य है और कार्मिक के विरूद्ध सतर्कता से संबंधित न तो कोई मामला लिम्बत है और न ही विचाराधीन है। कार्मिक की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए। यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि नियुक्ति होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमित नहीं होगी और उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों और बिना गोपनीय रिपोर्टों के प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(दीपा पांडे)

उपनिदेशक (प्रशासन)

011-25847717 & 25846467

वितरण:-

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- 2. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
- 3. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, 16-ए, अकबर रोड, हटमेंट्स, नई दिल्ली।
- 4. महालेखा नियंत्रक, राजस्व विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110517
- 5. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत नई दिल्ली।
- 6. सूचना पट्ट, विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली।
- 7. डी.जी., महानिदेशक (Resettlement), रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक- IV, आरके पुरम, नई दिल्ली 110066
- 8. नोडल अधिकारी, विस्तार निदेशालय को डीएसी/डीओई की वेबसाइड में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 9. गार्ड फाइल।

मि.स. F.No.3-2/2018-Estt.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
Department of Agriculture & Farmers Welfare)
विस्तार निदेशालय
Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन Krishi Vistar Bhawan आई.ए.एस.आर.आई. कैपस IASRI Campus पूसा नई दिल्ली Pusa, New Delhi 110012 दिनॉक मार्च, 2024

OFFICE MEMORANDUM

SUB.: Filling up of One (01) vacancy of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Matrix Level-2 (Rs. 19900-63200) (Group-C) in the Directorate of Extension by deputation basis regarding.

The undersigned is directed to say that One (01) vacancy of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Matrix Level-2 (Rs.19900-63200) (Group-C) (Non-Gazetted) (Non-Ministerial) in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi, is required to be filled up by deputation basis.

Deputation/Absorption:-

From amongst the regular Multi tasking staff in the Directorate of Extension who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider or regular Multi Tasking Staff in other Ministries of the Central Government possessing the following qualification. Essential:

- (j) Pass in 10th or equivalent qualification from a recognized Board or University.
- (ii) Possession of a valid driving license for motor cars.
- (iii) Experience of driving a motor car not at least three years.
- (iv) Knowledge of motor mechanism.
- (v) Ability to remove minor defects in vehicle.

For Armed Forces Personnel: Deputation/reemployment

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered and if selected such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms and in case such eligible officers have been retired or transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts)

Note: (1) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post homediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note: (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date for the receipt of applications.

The selected Official will have the option either to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Ministry of Finance instructions issued from time to time or gets his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the normal duties.

It is requested that the vacancy may kindly be accorded wide publicity and the applications, with details of service particulars in the enclosed proforma as per Annexure, from suitable and willing Officials, along with duly attested photocopies of APARs for the last 5 years, may kindly be forwarded to the undersigned, by name within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar.

While forwarding the applications, it may also please be verified and certified that the particulars furnished by the applicant are correct and that no vigilance proceedings are pending or being contemplated against the Official. The integrity of the Officials may also be certified. It may also please be made clear that in the event of selection, the candidate will not be allowed to withdraw his/her candidature and will be relieved immediately. Incomplete applications or application received without up-to-date ACRs/APARS dossier will not be considered.

(Deepa Pande)
Deputy Director (Admn.)

DISTRIBUTION: 011-25846467 & 25847717

- 1. All Ministries/Department of Government of India.
- 2. All Attached/Subordinate Offices of the Department of Agriculture & Famers Welfare.
- Chief Controller of Accounts, Deptt of Agriculture & Farmers Welfare, 16A, Akbar Road, Hutment, New Delhi.
- Controller General of Accounts, Deptt. of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-1100571
- 5. PSU's/All Autonomous Bodies
- 6. Notice Board, DOE., Pusa, New Delhi
- D.G., Director General of Resettlement, Ministry of Defence, West Block-IV, RK Puram, New Delhi - 110066
- 8. Nodal Official, DOE for uploading on DA&FW/DOE website
- 9. Guard file.

जीवन वृत्त / प्रोफार्मा

पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है.....

गरित योग्यता /		
कि क्या आप पद की अपेक्षायें पूरी करते हैं ? कालक्रमानुसार नियोजन का विवरण यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से पृष्ट संलग्न करें और उस पर अपने हस्ताक्षर करके विधिवत प्रमाणित करें ।		
का स्वरूप		

8	वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात तदर्थ अतवा अस्थायी अथवा स्थायीवत् अथवा स्थाई	
9	यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर हो तो, कृपया बताएः	
	(क) आरम्भिक नियुक्ति की तिथि	
	(ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि	
	(ग) वर्तमान कार्यालय / संगठन का नाम जिसमें आप इस समय कार्यरत हैं ।	
10	क्या आप संशोधित वेतमान में हैं ? यदि हॉ तो संशोधन की तिथि और संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं ।	
11	इस समय प्रतिमाह प्राप्त की जा रही कुल परिलब्धियां।	
12	इस पद के लिए स्वयं को उपयुक्त बताने के समर्थन में कोई अतिरिक्ति सूचना हो तो बताएं । यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें ।	
13	क्या आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं ?	
14	कृपया स्पष्ट करें कि क्या आपने प्रतिनियुक्ति पर या स्थानान्तरण आधार पर आवेदन किया है ?	
15	टिप्पणी	

	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
	पता

देनांक	
तिहस्ताक्षरित नियोजक)	